न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैषाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–421 / 2026

रमेष चौधरी वगैरह.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार

राजापाकर थाना कांड सं0–479 / 2025

अधीन धारा–115(2), 126(2), 109, 351, 352(2), 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

21-04-2026 राजापाकर थाना कांड संख्या–479 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–115(2), 126(2), 109, 351, 352(2), 103(1), 3(5) में अभिरक्षाधीन नियमित जमानत आवेदन के आवेदकगण **रमेष चौधरी, उम्र–60 वर्ष पिता–नथुनी चौधरी, राजेष चौधरी, उम्र–35 वर्ष पिता–रमेष चौधरी, एवं राकेष चौधरी, उम्र–38 वर्ष पिता–रमेष चौधरी,** सभी साकिन–कनसारा थाना–राजापाकर (बरांटी ओ0पी0), जिला–वैशाली जो दिनांक–16.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्रों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री कुमार राजेषम** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में कोई भी नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक है कि, दिनांक–19.12.2025 को करीब 09.00 बजे सुबह में सूचिका के भैसुर लोटन चौधरी दुध लाने जा रहा था तो सूचिका के ग्रामीण रमेष चौधरी, राकेष चौधरी, राजेष चौधरी, कृष्णा देवी, प्रियंका देवी एवं राजेष चौधरी की पत्नी जिसका नाम नहीं मालूम सभी एक राय से हरवे हथियार से लैस होकर सूचिका के भैसुर लोटर चौधरी को अपने घर के सामने घेर कर गाली गलौज करने लगे कि साला तुमको कहते है घर लिखने के लिए तो घर लिखते नहीं हो। रमेष चौधरी ने आदेष दिया कि साले को जान से मार दो। रमेष चौधरी अपने हाथ में लिए तार छेबने वाला हसुली से जान मारने के लिए लोटन चौधरी के गर्दन पर चलाया जो छिप जाने के कारण उनका चेहरा तथा कान कट गया। तब वह हल्ला करते हुए भागने का प्रयास किया तो कृष्णा देवी अपने हाथ में लिए लाठी से उसके पैर पर मारी जिससे वह गिर गया। राजेष चौधरी एवं राकेष चौधरी ने अपने हाथ मे लिऐ हुए हसुली एवं तलवार से जान मारने की नियत से उनकी पीठ पर कई वार किये तथा राकेष चौधरी तलवार से भोंक दिया जिससे वह बुरी तरह लहु–लुहान होकर गिर गई। लोगों के इकट्ठा होने पर ग्रामीणों के जूट जाने पर अभियुक्तगण धमकी देने लगे कि आगे बढ़ेगा तो जान से मार देंगे। जब ढ़ोलन चौधरी बचाने गया तो राकेष चौधरी एवं राजेष चौधरी अपने हाथ में लिए हसुली से जान मारने की नियत से उस पर भी चलाया जिससे उसका सर कट गया तब लोगों के शोर मचाने पर अभियुक्तगण धमकी देते हुए चले गये

Web Copy Not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैषाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–421/2026

21.04.2026

और यह कहते गये कि जिन्दा रहना है तो घर जमीन उसके नाम लिख दो। उसके बाद सूचिका अपनी गोतनी रूबी देवी, उर्मिला देवी एवं बहु रविना के सहयोग से अपने भैसुर लोटन चौधरी को सदर अस्पताल, हाजीपुर ले गयी जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति गंभीर बताते हुए उसे पटना रेफर किया गया। जहॉ पी0एम0सी0एच0 में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। विदित हो कि अभियुक्तगण के द्वारा पहले भी सूचक के पति पर तेजाब डालकर उसे जला दिया था तथा तब से ही जमीन लिखने के लिए हमेषा धमकी देते आ रहे हैं।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण दिनांक–16.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में जमीनी विवाद के कारण फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और आवेदकगण घटनातिथि के दिन घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण को परेशान और हतोत्साहित करने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज किया है क्योंकि आवेदक रमेश चौधरी ने सूचक के परिवार के सदस्यों के विरूद्व राजापाकर थाना कांड सं0–03/93 और राजापाकर थाना कांड सं0–153/16 दर्ज कराया है तथा आवेदक राजेश चौधरी ने परिवाद सं0–3118/25 के तहत राजेश कुमार बनाम लोटन चौधरी एवं अन्य के रूप में शिकायत दर्ज कराये है और केवल आवेदकगण को परेशान और हतोत्साहित करने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज किया गया है। निवेदित है, आवेदकगण को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के नियमित जमानत आवेदनों का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदनों, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण दिनांक–16.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के भैसुर लोटन चौधरी को जमीन लिखने के लिए उसे घर के सामने घेर कर उसके साथ गाली गलौज कर हसुली से उसका चेहरा, सर एवं कान काट देने, लाठी से उसके पैर पर मारने, हसुली एवं तलवार से उसके पीठ पर वार करने, तलवार से भोंक देने का आरोप है जिसके परिणामस्वरूप सूचिका के भैसुर लोटन चौधरी का मृत्यु कारित हो गया, जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 11, 12, 13, 50, 51, 71, 72 एवं 73 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 57 में मृतक लोटन चौधरी का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है जिसमें मृत्यु का कारण मारपीट कर जख्मी करना बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 70 में मृतक लोटन चौधरी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकित है जिसमें भी मृत्यु का कारण रक्त का श्राव एवं आधात को बताया गया है। अभिलेख के साथ जख्मी ढोलन चौधरी का जख्म प्रतिवेदन

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैषाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–421 / 2026

21.04.2026 संलग्न है तथा जख्मी ढोलन चौधरी का ब्यान कांड दैनिकी की कंडिका 12 में उल्लिखित है, जख्मी साक्षी ने भी अभियोजन के कथानक का पुर्ण रूप से समर्थन किया है। मामला हत्या जैसी गंभीर प्रकृति का है और कांड दैनिकी की कंडिका 119 से विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्व अभी अनुसंधान जारी है तथा सह अभियुक्त कृष्णा देवी, प्रियंका देवी और सुमन देवी के विरूद्ध अनुसंधान पुर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया जा रहा है। इसके अलावा आवेदकगण का अपराधिक इतिहास एक अन्य वाद राजापाकर थाना कांड सं0–156 / 07 के अंतर्गत दर्ज है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, मामले में आरोप की गंभीरता, आवेदकगण का अपराधिक इतिहास एवं आवेदकगण के सक्रिय भागीदारी को देखते हुए आवेदकगण को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदकगण का नियमित जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official